# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

**अपील संख्या :– 00145/2023**

कमलेश त्यागी

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सेवर, भरतपुर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सेवर, भरतपुर।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, बहनेरा, सेवर, भरतपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 09.01.2023
**आदेश की दिनांक** : 13.01.2023

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बहनेरा, सेवर, भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक

21.12.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी अग्रिम उपस्थिति श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर में प्रस्तुत करें। अपीलार्थी का कथन है अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को अधिशेष कर्मचारी मानते हुए कार्यमुक्त किया गया है लेकिन अपीलार्थी अधिशेष कर्मचारी नहीं है फिर भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 21.12.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को ए.एन.एम. के पद पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बहनेरा, सेवर, भरतपुर में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

**4.** प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बहनेरा, सेवर, भरतपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई. आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और

अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6 जहां तक अपीलार्थी के अधिशेष कार्मिक होने का प्रश्न है हमें अधिवक्ता के मत में अनुलग्नक–2 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का समायोजन/पदस्थापन किया गया है ना कि रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते है।

7 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**